न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या 40 / 15 वर्ष 2015

बउनवानीः—1. घनश्याम पुत्र हरपाल माली निवासी शेरपुर तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

2. राधेश्याम पुत्र हरपाल माली निवासी निवासी शेरपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. रामकल्याण पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल माली निवासी शेरपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. मनभर पत्नि स्व0 श्री कन्हैयालाल माली निवासी शेरपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3. रामलाल पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल माली निवासी शेरपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
4. हल्का पटवारी ग्राम शेरपुर तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
5. लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 27.6.1965 उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970)

उपस्थितः—1. श्री राजकुमार कुर्मी वकील प्रार्थीगण

श्री उमाशंकर शर्मा वकील अप्रार्थीगण

—: निर्णय :— दिनांक 1.8.2017

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 27.6.1965 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना प्रस्तुत पत्र होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी;

वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 3 के पिता व विपक्षी संख्या 2 के पति कन्हैयालाल माली के पक्ष मे किया गया आवंटन नियम के विरूद्व होने के कारण काबिले खारिज है। यह कथन भी किया कि आवंटन अधिकारी के समक्ष हल्का पटवारी ने गलत रिपोर्ट पेश की है कि वह भूमिहीन व्यक्ति है तथा आवंटन अधिकारी के समक्ष आवंटी कन्हैयालाल ने कौनसे स्थान पर कब्जा लिया है इसका भी उल्लेख नही किया है एवं ख0न0 625 का रकबा बहुत बडा है जिसमे कोई तरमीम नही है तथा आवंटन अधिकारी ने किसी प्रकार की कोई जॉच नही की है एवं कब्जे काश्त बाबत कोई दस्तावेजी सबूत ,गिरदावरी या खसरा परिवर्तनशील इत्यादि से संबंधित को कोई दस्तावेज लिये बगेर ही आवंटन आदेश जारी किया है जो काबिले निरस्त है। यह कथन भी किया कि जिस स्थान पर कन्हैयालाल ने अपना कब्जा बताया है उस स्थान पर शुरू से अपीलान्ट का कब्जा काश्त रहा है तथा वर्तमान में भी कब्जा काश्त अपीलान्ट का है। रेस्पो. का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है ओर ना ही वर्तमान में है केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में अंकन राजस्व कर्मचारियों से मिलकर करवाया है जो काबिले निरस्त है। यह कथन भी किया कि अपीलान्ट को रेस्पो. के पिता कन्हैयालाल के नाम किये जाने का आदेश उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा 30.12.2014 को कर दिया उसके पश्चात उसकी अपील रेस्पो0 द्वारा की गयी है वहॉ से नकल 30.12.2014 को प्राप्त होने के पश्चात सन्1965 का आवंटन होने के कारण काफी मेहनत करने पर दिनांक 7.12.2005 को नकल प्राप्त हुई। जिसके पश्चात विधिक सलाहकार

(के.सी. वर्मा)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

से सलाह की व 12–13 को अवकाश आ जाने के कारण यह निगरानी प्रार्थना पत्र जानकारी से अन्दर मयाद मय लिमिटेशन प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार कर अप्रार्थीगणों के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने बाबत वकील निगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 लगायत 3 के पिता कन्हैयालाल पुत्र पूनीराम माली निवासी शेरपुर को दिनांक 27.6.1965 को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु अपील पेश की है आवंटन आदेश को निरस्त करने की दर.14(4) मे दिया गया है एवं 14(4) के प्रावधान दिनांक 27.6.1965 के आवंटन पर लागू नही होते तथा दिनांक 27.6.1965 के आवंटन की अपील की समयावधि आवंटन के 30 दिन जैसा की 1977 आर.आर.डी. पेज 254, प्रसादी बनाम शान्य में उल्लेखित है दिनांक 27.6.1965 की अपील 2015 में की गयी है जिसे 50 वर्ष की देरी को माफ करने का कोई कारण नही है तथा उक्त आवंटन से संबंधित भूमि आवंटी व उसके वारिसान की गैर खातेदारी व खातेदारी में चली आ रही है तथा खातेदारी का नामा0 संख्या 188 दिनांक 12.10.1977 को खुल चुका है, तथा नामा0 में आवंटी का कब्जा है नामा0 की प्रतिलिपि प्रदर्श–1 संलग्न है नामा0 मे स्पष्ट उल्लेख है कि आवंटी का मौके पर कब्जा है इससे स्पष्ट कि आवंटित भूमि आवंटन के बाद से कन्हेया की खातेदारी व कब्जे में चली आ रही है तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 31.7.2012 में भी स्पष्ट उल्लेख है कि भूमि रेस्पो0 के पिता की खातेदारी व कब्जा की भूमि है जमाबन्दी की प्रतिलिपि प्रदर्श–2 लगायत 6 से स्पष्ट है। वकील अप्रार्थी द्वारा किये गये कथन के समर्थन में गिरदावरी, सम्वत् 2033 से 2036 प्रस्तुत कर कथन किया कि कन्हैया की खुद काश्त है तथा बेजड की फसल दर्शायी गयी है। आवंटन की जानकारी निगरानीकार को नही होना तथा उक्त आवंटित भूमि पर निगरानीकार का कब्जा होना पूर्ण रूप से असत्य है। यह भी अंकित किया है कि निगरानीकार एग्रीवीड परसन नही है ओर ना ही उक्त भूमि पर उनका कभी कब्जा रहा है। जहॉ तक अप्रार्थी संख्या 2 रिटायर्ड कर्मचारी है इससे स्पष्ट है कि आवंटन से कोई सरकारी कर्मचारी एग्रीवर्ड परसन हो ही नही सकता है। अतः निगरानीकार को निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 1977 आरआरडी पेज 254 (बी), 1987 आरआरडी पेज 54, 1992 आरआरडी पेज 266, 1974 आरआरडी पेज 451, 1978 आरआरडी 633 पेश किये। यह कथन भी अंकित किया कि प्रस्तुत निगरानी 50 वर्ष बाद प्रस्तुत की जो मयाद बहार है कथन के समर्थन में 1978 आरआरडी एनयूसी पेज 113 व 1973 आरआरडी पेज 439 प्रस्तुत किये तथा न्यायिक दृष्टान्त 2001 आर.आर.डी. पेज 126 शंकर लाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में स्पष्ट उल्लेखित किया है कि 30 वर्ष से पुराने आवंटन जिनमे खातेदारी प्राप्त हो चुकी है उन्हे निरस्त नही किया जा सकता है। उक्त कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 1999 आरआरडी पेज 128, 1997 आरआरडी पेज 632, 1996 आरआरडी पेज 500, 2001 आरआरडी पेज 467 प्रस्तुत किये। यह कथन भी अंकित किया कि आवंटी गरीब काश्तकार एवं भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी मे आता है तथा आवंटी के पास स्वयं के खाते में कोई भूमि नही थी आवंटन के पश्चात आवंटी द्वारा उक्त आवंटित भूमि को समतल व उपजाऊ बनाने में लाखों रूपया खर्च किया है तथा जमीन को उपभोगी बनाया है। उक्त आवंटन योग्य भूमि में से अन्य कास्तकारों को भी आवंटन हुआ है। अतः आवंटन का ज्ञान प्रार्थी को नही है एवं प्रार्थी की तो उम्र ही 50 वर्ष नही है जबकि आवंटन 50 वर्ष पुराना है अर्थात प्रार्थी पैदा ही नही हुआ तो एग्रीवर्ड परसन कैसे हो सकता है तथा अपील में लिखी बहस को भी माना जावे तो 62 व 60 वर्ष उम्र दर्ज की है अर्थात अपीलान्ट प्रार्थी आवंटन के समय नाबालिग थे तथा नाबालिग को आवंटन हो ही नही सकता है तो अपीलान्ट एग्रीवर्ड परसन होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। यह कथन भी अंकित किया कि न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को अपने निणर्य दिनांक 30.12.2014 को खातेदार घोषित कर दिया है, ऐसी स्थिति में वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

(के.सी. वर्मा)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि वकील निगरानीकार द्वारा ऐसा कोई विधिसम्मत साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे यह सिद्व होता हो कि आवंटी आवंटन के समय भूमिहीन नही था तथा आवंटित भूमि पर उसका कब्जा नही होने बाबत किये गये कथन की पुष्टि हेतु भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया हैं, जबकि आवंटन पत्रावली में पटवारी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है आवंटी का आवंटन योग्य भूमि पर स्वंय का कब्जा काश्त है तथा आवंटी भूमिहीन व्यक्ति है। इसके अतिरिक्त खसरा गिरदावरी सम्वत् 2033 से 2036 में आवंटित भूमि पर बेजड, सम्वत् 2057 से 2060 में गेंहूॅ की फसल स्वंय आवंटी कन्हैया पुत्र पून्या माली द्वारा किया जाना अंकित है तथा सम्वत् 2072 से 2075 में अप्रार्थी रामकल्याण जो कि आवंटी का पुत्र है के द्वारा सरसों की फसल काश्त करना अंकित किया है जिससे उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन से लेकर अब तक आवंटी व उसके पश्चात उसके वारिसान का निरन्तर कब्जा काश्त होना साबित हो जाता है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात व अधीनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन मिसल के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के पिता तथा अप्रार्थी संख्या 2 के पति कन्हैयालाल पुत्र पून्या माली के पक्ष मे किया गया उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक **(Fraud or Misrepresentation)** कराये गये आवंटन की श्रेणी मे नही आता है जबकि इतने वर्ष पश्चात केवल मिथ्या कथन छलपूर्वक **(Fraud or Misrepresentation)** कराये गये आवंटन को ही खारिज किया जा सकता है तथा आवंटित भूमि का आवंटी व उसके वारिसान को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अतः न्याय परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत पारित आदेश जैर निगरानी मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही होने के कारण प्रार्थीगणों की ओर प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) को खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूॅ। परिणाम स्वरूप निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 1.8.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(के0सी0वर्मा)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर